न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 77/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/345)

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामस्वरूप, जाति गुर्जर, निवासी श्यालावास खुर्द, तहसील बसवा, जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर दौसा।
2. कनिष्ट विशेषज्ञ प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बांदीकुई।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा दिनांक 28.01.2021 जिसके तहत ग्राम श्यालावास खुर्द तहसील बसवा हाल बांदीकुई मे स्थित चरागाह भूमि खसरा नंबर 1347/802 रकबा 2 है0 भूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 7 यथासंशोधित के अनुसरण में चरागाह से खारिज की जाकर चरागाह भूमि की क्षतिपूर्ति ग्राम श्यालावास कलां मे स्थित भूमि खसरा नंबर 260, 310, 415, 418, 420, 421, 422 कुल किता 7 कुल रकबा 2.000 है0 को चरागाह मे परिवर्तित करते हुए प्रस्तावित चरागाह भूमि को राजकीय सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र व स्टाफ क्वाटर्स बांदीकुई के भवन निर्माणार्थ हेतु आवंटित की है को निरस्त करने बाबत।

उपस्थित–

1 श्री प्रदीप कुमार विजयर्गीय अधिवक्ता अपीलान्ट।

2 राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट्स 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक – 15.07.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, दौसा के आदेश दिनांक 28.01.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 21.07.2023 को प्रस्तुत हुई है।

2. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, दौसा के निर्णय दिनांक 28.01.2021 से व्यथित होकर अपीलार्थी राजेन्द्र प्रसाद द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश 28.01.2021 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि हरदयाल, विजयसिंह पुत्रान गंगाराम, जाति गुर्जर निवासी बाढ बगीची श्यालावास कलां ने कल्याणसहाय पुत्र नाथूराम जाति गुर्जर निवासी श्यालावास कला को दिनांक 18.01.1983 को वाके ग्राम श्यालावास कला में स्थित सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नंबर 199 में से 4 बीघा भूमि के हुए आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु उक्त भूमि के बने नये खसरा नंबर 310 रकबा 1.01 है० का उक्त कल्याण सहाय की मृत्यु हो जाने के कारण उसके वारिसान के नाम खातेदारी का नामान्तकरण खुल जाने के बाद व उनका कब्जा काश्त होने के कारण उनके द्वारा अपीलान्ट को विक्रय कर कब्जा संभला देने व अपीलान्ट के नाम खातेदारी व कब्जा होने के बाद एक प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन रूल्स का अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने उक्त प्रार्थना पत्र 14 (4) आवटन रूल्स को दिनांक 14.03.2011 को स्वीकार करके और उक्त आवटन आदेश दिनाक 18.01.83 को खारिज कर दिया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अपीलान्ट द्वारा उक्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के आदेश दिनांक 14.03.2011 के विरुद्ध भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहाँ अपील प्रस्तुत की। जिस अपील को भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने दिनांक 25.06.2015 को खारिज कर दिया। जिसकी वजह से उक्त भूमि वर्तमान खसरा नंबर 310 रकवा 1.01 है० को वापिस सिवायचक के रूप मे इन्द्राज कर दिया। अपीलान्ट द्वारा उक्त भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर केम्प दौसा के आदेश दिनांक 25.06.2015 के विरूद्ध माननीय राजस्व मंडल में द्वितीय अपील प्रस्तुत की। जिस अपील को माननीय राजस्व मंडल ने दिनांक 15.02.2019 को स्वीकार की और भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.06.2015 व अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2011 को अपास्त किया व प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमान्ड किया। उक्त राजस्व मंडल के निर्णय दिनांक 15.02.2019 के आधार पर उक्त आवंटन वापिस बहाल हो गया। उक्त रिमान्ड पत्रावली अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के यहाँ चल रही थी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने प्रार्थना पत्र 14 (4) अनुदानी हरदयाल बनाम सुरज्ञान को दिनाक 07.06.2023 को खारिज कर दिया। यानि 14(4) आवंटन रूल्स का प्रार्थना पत्र खारिज हो जाने के कारण उक्त भूमि खसरा नंबर 199 रकबा 4 बीघा हाल खसरा नंबर 310 रकबा 1.01 है का आवंटन बहाल हो गया और अपीलान्ट उक्त भूमि वर्तमान खसरा नंबर 310 रकबा 1.01 है० वाके ग्राम श्यालावास कलां का खातेदार व काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि अपीलान्ट के नाम खातेदारी मे थी व अपीलन्ट उक्त भूमि पर मौके पर काबिज है अपीलान्ट उक्त भूमि पर मौके पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है। उक्त भूमि के संबंध में केस चल रहे है, इस बात की जानकारी स्वयं तहसीलदार जी को भी है क्योकि तहसीलदार स्वयं उन केसो मे पक्षकार है। उक्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के यहाँ विचाराधीन प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स दिनांक 07.06.2023 को खारिज होने पर अपीलान्ट ने उक्त आदेश की नकल लेकर तथा राजस्व मंडल के निर्णय की नकले लेकर और उक्त भूमि की वापिस खातेदारी अपीलान्ट के नाम करने हेतु दिनांक 06.07.2023 को पटवारी हल्का से कहा एवं तहसीलदार जी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो पटवारी ने बताया कि उक्त तुम्हारी भूमि खसरा नंबर 310 रकवा 1.01 है० तो वर्तमान में जिला कलेक्टर के आदेश से चरागाह अंकित हो रही है और हम उक्त चरागाह की खातेदारी तुम्हारे नाम नहीं कर सकते तो अपीलान्ट ने पटवारी से पूछा कि उक्त चरागाह कैसे हुई तो उन्होने बताया कि जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 28.01.2021 के आदेश से उक्त भूमि चरागाह अंकित हुई है। आप उक्त चरागाह अंकित करने का आदेश हुआ है, उसे निरस्त कराओ तब तुम्हारे नाम खातेदारी हो सकती है तो अपीलान्ट दिनांक 10.07.2023 को दौसा आया व जिला कलेक्टर दौसा के आदेश दिनांक 28.01.2021 की नकल हेतु आवेदन पत्र पेश करवाया तथा नकल 11.7.2023 को मिली तब अपीलान्ट को सर्वप्रथम उक्त जिला कलेक्टर के आदेश की जानकारी हुई। इससे पूर्व उक्त आदेश की कतई जानकारी नही थी। उक्त आदेश अवैध, अमान्य व प्रभावशून्य आदेश है जिसकी अपील की कोई मयाद नही होती है किन्तु फिर भी जानकारी से अपील तैयार करवाकर उक्त जिला कलेक्टर दौसा के आदेश दिनांक 28.01.2021 के विरूद्ध श्रीमान के समक्ष निम्न आधारों पर अपील अपीलान्ट पेश की है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना व सुनवायी का अवसर दिये बिना व बिना कोई मौके की जॉच किये बिना व बिना वास्तविकता की जाँच किये बिना तहसीलदार, उप जिला कलेक्टर की झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। उक्त भूमि का अपीलान्ट खातेदार व काबिज काश्तकार हे अपीलान्ट ने राजस्व मंडल के निर्णय की प्रति राजस्व मंडल का निर्णय होते ही तहसीलदार जी व पटवारी हल्का को दे दी थी किन्तु उन्होने माननीय राजस्व मंडल के फैसले की पालना कर उक्त भूमि खसरा नंबर 310 रकवा 1.01 है० की खातेदारी का अपीलान्ट के नाम इन्द्राज नही किया तथा मनमर्जी से झूठी रिपोर्ट बनाकर पेश कर दी जिसके आधार पर उक्त भूमि को क्षतिपूर्ति के रूप में देकर अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है जो निरस्त योग्य है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा एवं कनिष्ट विशेषज्ञ प्रभारी सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र के अनुरोध पर ग्राम श्यालावास खुर्द मे स्थित चरागाह भूमि खसरा नंबर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

1347/802 रकबा 2 हेक्टर भूमि को चरागाह से खारिज कर क्षतिपूर्ति हेतु अपीलान्ट की उक्त भूमि खसरा नंबर 310 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम श्यालावास कलां व अन्य भूमि का प्रस्ताव दे दिया जिस पर बिना कोई जॉच किये बिना दिनाक 28.01.2021 को सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र हेतु खसरा नंबर 1347/802 रकबा 2 हैक्टर को आवंटित कर दी तथा उसके बदले विधि विरूद्ध तरीके से क्षतिपूर्ति स्वरूप अपीलान्ट की भूमि खसरा नंबर 310 रकबा 1.01 है वाके ग्राम श्यालवास कलां को शामिल करते हुए क्षतिपूर्ति का आदेश दे दिया जो कानूनन गलत है। अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्त योग्य है। कानूनन अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि को सेटअपार्ट करने के बदले क्षतिपूर्ति मे नही दिया जा सकता है किन्तु अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को अधिनस्थ न्यायालय ने क्षतिपूर्ति हेतु देकर कानूनी गलती की है। तहसीलदार बसवा की यह पूर्ण जानकारी में था कि उक्त भूमि अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त भूमि के चल रहे केसों मे तहसीलदार बसवा स्वंय पक्षकार है। अपीलान्ट ने भी राजस्व मंडल के फैसले की नकल पेश कर दी थी किन्तु तहसीलदार की जानकारी में होने के बावजूद भी उक्त भूमि खसरा नंबर 310 के तथ्य को छिपाकर और रिपोर्ट दी जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा के आदेश दिनांक 28.01.2021 की अपीलान्ट को कतई जानकारी नही थी अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के यहॉ विचाराधीन प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन रूल्स दिनांक 07.06.2023 को खारिज होने पर अपीलान्ट ने उक्त आदेश की नकल लेकर तथा राजस्व मंडल के निर्णय की नकले लेकर और उक्त भूमि की वापिस खातेदारी अपीलान्ट के नाम करने हेतु दिनांक 06.07.2023 को पटवारी हल्का से कहा एवं तहसीलदार जी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो पटवारी ने बताया कि उक्त तुम्हारी भूमि खसरा नंबर 310 रकबा 1.01 है० तो वर्तमान में जिला कलेक्टर के आदेश से चरागाह अंकित हो रही है और हम उक्त चरागाह की खातेदारी तुम्हारे नाम नहीं कर सकते तो अपीलान्ट ने पटवारी से पूछा कि उक्त चरागाह कैसे हुई तो उन्होने बताया कि जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 28.01.2021 के आदेश से उक्त भूमि चरागाह अंकित हुई है। आप उक्त चरागाह अंकित करने का आदेश हुआ है उसें निरस्त कराओ तब तुम्हारे नाम खातेदारी हो सकती है तो अपीलान्ट दिनांक 10.07.2023 को दौसा आया व जिला कलेक्टर दौसा के आदेश दिनांक 28.01.2021 की नकल हेतु आवेदन पत्र पेश करवाया जिस पर नकल 11–7–2023 को मिली। तब अपीलान्ट को सर्वप्रथम उक्त जिला कलेक्टर के आदेश की जानकारी हुई। इससे पूर्व उक्त आदेश की कतई जानकारी नही थी। इसलिये उक्त आदेश की अपील पेश नही की जा सकी। उक्त आदेश अवैध, अमान्य व प्रभावशून्य आदेश है जिसकी अपील की कोई मयाद नही होती है किन्तु फिर भी अपील जानकारी से अन्दर मयाद पेश है । अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 28.01.2021 में से जो अपीलान्ट की भूमि खसरा नंबर 310 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम श्यालावास कलां को क्षतिपूर्ति में देकर और चरागाह अंकित किया है उस हद तक उक्त निर्णय को निरस्त फरमाने की कृपा करे ।

5. राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पोडेन्ट ने विरोध करते हुये कथन किया कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा ने आदेश दिनांक 28.01.2021 के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बांदीकुई के अनुरोध एवं ग्राम पंचायत श्यालावास कलां पं.स. बांदीकुई व नगर पालिका मण्डल बांदीकुई की मांग एवं अनापत्ति के आधार पर तहसीलदार बसवा एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई की सिफारिश एवं अभिशंषा के आधार पर ग्राम श्यालावास खुर्द तहसील बसवा स्थित राजकीय चारागाह भूमि खसरा नम्बर 1347/802 रकबा 2.00 है0 भूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 यथासंशोधित के अनुसरण में चरागाह से खारिज की जाकर तथा उक्त चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम श्यालावास कलां तहसील बसवा स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 260 रकबा 0.23 है0, 310 रकबा 1.01 है0, 415 रकबा 0.14 है0, 418 रकबा 0.20 है0, 420 रकबा 0.20 है0, 421 रकबा 0.17 है0, 422 रकबा 0.05 है0 कुल किता 7 रकबा 2.00 है0 भूमि को चरागाह में परिवर्तन करते हुए प्रस्तावित चरागाह भूमि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्टॉफ क्वार्टर बांदीकुई तहसील बसवा के भवन निर्माणार्थ हेतु (जरिये कनिष्ठ विशेषज्ञ प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बांदीकुई) राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आंवटन) नियम 1963 के अन्तर्गत आंवटित की गयी है। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में बिना पक्षकार बनाये ही निर्णय पारित किया गया है। जिसके कारण उसे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी है। अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रकरण में प्रार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिसके कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस से जाहिर होता है कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 15.02.19 द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) को पुनः नंबर पर लेकर उभयपक्ष को जिसमें राज्य सरकार भी शामिल है, सुनवाई का समुचित अवसर प्रकार करते हुये प्रकरण निस्तारण निर्णय दिनांक से 6 माह के भीतर नियमानुसार करने का प्रयास करने बाबत निर्देश जारी किये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.23 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जारी निर्णय दिनांक 15.02.2019 में प्रदत्त निर्देशों की पूर्ण पालना नहीं की गई है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा राज्य सरकार को भी सुनकर ही निर्णय दिनांक 07.06.23 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया जाना चाहिए था किन्तु खेद का विषय है कि प्रकरण में भूमिधारक तहसीलदार का पक्ष सुने बगैर ही प्रकरण को Not Press एवं No Objection के आधार पर विद्वान पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा निर्णत किया गया है जो न सिर्फ राजस्व मण्डल द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है वरन् राज्य सरकार का पक्ष सुनें बिना निर्णय पारित करने से राज्य हित प्रभावित होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल के आदेश की पालना में राज्य सरकार का पक्ष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुना जाता तो आवंटन नियम 14(4) मंजूर होने तथा भूमि के पुनः राज्य सरकार में निहित होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट भविष्य में अपील दायर करने के अवसर को सुरक्षित रखते हुये अस्वीकार की जाती है तथा अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2019 में प्रदत्त निर्देशों की पालना में अधीनस्थ न्यायालय से सर्वप्रथम विधि सम्मत निर्णय राज्य सरकार का पक्ष सुना जाकर गुणावगुण के आधार पर पारित करवाया जावे।

(डॉ0 प्रवीण कुमार)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर